छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 17/2006

श्री रामकृष्ण पाण्डेय,
अधिवक्ता,
शिवमंदिर के पास, न्यू शांतिनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, प्रतिअपीलार्थीगण
विधि संकाय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) ....

2. जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह
भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. जन सूचना अधिकारी,
आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(दिनांक 03 अक्टूबर 2006)

श्री रामकृष्ण पाण्डेय, अधिवक्ता के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 13-02-2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के पत्र दिनांक 25-01-2006 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण है कि अपीलार्थी ने दिनांक 10-11-2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कुछ अभिलेखों की प्रतियाँ मांगी थी। उनके द्वारा यह बतलाया गया था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, विधि संकाय को अंशकालीन व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र दिया था, किन्तु उनकी नियुक्ति प्राचार्य के द्वारा गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुए नहीं की गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अभ्यावेदन दिया था। उक्त अभ्यावेदन के संबंध में की गई कार्यवाही से अपीलार्थी अवगत होना चाहता था।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्राचार्य तथा श्री एल.पी.दाण्डे, जन सूचना अधिकारी उपस्थित हुए। आयोग के द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी को अपूर्ण जानकारी दी गई है, तब आयोग ने निर्देशित किया कि जन सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें 30-4-2006 तक पूर्ण जानकारी प्रदान की जावे। जानकारी देने में विलम्ब होने के फलस्वरुप आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को 5000/- रूपए का अर्थदण्ड क्यों ने आरोपित किया जावे, इसका कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 30-05-2006 को प्रतिअपीलार्थी की ओर से जवाब दिया गया कि अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने की अवधि में श्री जी.बी.गुप्ता, उप सचिव, जन सूचना अधिकारी थे अत: उन्हें ही नोटिस जारी होना था। अत: आयोग के द्वारा श्री एल.पी.दाण्डे को जारी नोटिस निरस्त किया गया तथा श्री जी.बी.गुप्ता को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। श्री जी.बी.गुप्ता के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि विलम्ब के लिए संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग दोषी है, अत: आयोग के द्वारा श्री जी.बी.गुप्ता को जारी नोटिस निरस्त कर तत्कालीन संचालक/आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को रूपए 5000/- रूपये की शास्ति आरोपित करने के कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। संचालक/आयुक्त की ओर से श्री युगल भारती, अपर संचालक उपस्थित हुए तथा आयुक्त के द्वारा दिया गया जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। आयुक्त के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई बिन्दु क्रमांक-1 की जानकारी शासन को 28-11-2005 को उपलब्ध करा दी गई थी, किन्तु बिन्दु क्रमांक-2 की जानकारी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय द्वारा दिया जाना अपेक्षित थी। अपीलार्थी के द्वारा मुख्य सचिव को प्रस्तुत अभ्यावेदन आयुक्त को प्राप्त नहीं हुआ था, वरन् वह अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को मुख्य सचिव कार्यालय से भेजा गया था।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 24-11-2005 को प्राचार्य को मिला तथा प्राचार्य ने दिनांक 25-11-2005 को ही जानकारी आयुक्त को उपलब्ध करा दी। आयुक्त के द्वारा भी जानकारी शासन को उपलब्ध करा दी गई।

प्रकरण में बहस के समय अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि प्राचार्य के द्वारा शासन को जो जानकारी उपलब्ध कराई गई, उसमें गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया। इसमें अपीलार्थी के संबंध में उल्लेख किया गया कि विधि के ज्ञापन हेतु अंग्रेजी दक्षता आवश्यक है तथा अपीलार्थी के बोलने में त्रुटि होने से छात्र को समझने में कठिनाई होती। अपीलार्थी ने जवाब में बतलाया है कि अपीलार्थी ने अंग्रेजी माध्यम से ही नियमित पी.एच.डी. एवं एल.एल.एम. की उपाधि प्राप्त की है, अत: यह उल्लेख करना कि उसका अंग्रेजी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, प्राचार्य का द्वेषपूर्ण कथन है। अपीलार्थी के द्वारा प्राचार्य को ही मुख्य रुप से दोषी माना।
प्रकरण से यह स्पष्ट है कि जहां तक सूचना का अधिकार अधिनियम का संबंध है प्राचार्य एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा जानकारी शासन को पत्र प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् ही प्रदान कर दी गई थी। अत: जानकारी विलम्ब से देने के लिए वे दोषी नहीं हैं। आयुक्त के द्वारा ही 25-11-2005 को ही जानकारी शासन को भेज दी गई। चूंकि

जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय विलम्ब से जानकारी देने के लिए दोषी प्रतीत नहीं होते। अतः आयुक्त को जारी किया गया अर्थदण्ड आरोपित करने का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को वांछित अभिलेख प्रदान कर दिये गये हैं। यह अवश्य है कि प्राचार्य ने अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में दिनांक 27-04-2006 को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को जो स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह कहना गलत है कि अपीलार्थी अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों मे समान दक्षता रखता है तथा आवेदक ठीक से नहीं बोल पाता तथा छात्रों को ठीक से सुनाई भी नहीं देता। प्राचार्य का यह मत बिना किसी आधार के तथा प्रमाण के है। छात्रों की कोई लिखित शिकायत की प्रति पत्र के साथ नहीं प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने अंग्रेजी माध्यम से ही एम.ए., एल.एल.बी. एवं पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की है तथा अपीलार्थी का हिन्दी का ज्ञान भी बहुत अच्छा है। अतः प्राचार्य को इस प्रकार के व्यक्तिगत अभिमत बिना किसी प्रमाण के उल्लेख नहीं करना चाहिए। जहां तक सूचना का अधिकार का संबंध है अपीलार्थी को अभिलेख प्रदान किये जा चुके हैं। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि समय पर जानकारी उपलब्ध न होने के फलस्वरुप अपीलार्थी को मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति हुई है। अतः अपीलार्थी को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से संचालनालय के द्वारा 500/- रूपए की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/- 3-10-2006

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त